

विकास आयुक्त, सीपज़-सेज़ की अध्यक्षता में दिनांक **24.03.2025** को द्वितीय तल, सीपज़ सेवा केंद्र, सीपज़ सेज़, मुंबई में मेसर्स ऑरम रियल एस्टेट डेवलपर्स लिमिटेड-सेज़ के क्षेत्र विशेष विशेष आर्थिक क्षेत्र के लिए आयोजित अनुमोदन समिति की **58वीं बैठक** का कार्यवृत्त।

Minutes of the **58th Meeting** of the Approval Committee for Sector Specific Special Economic Zone of **M/s. Aurum Real Estate Developers Limited-SEZ** under the Chairmanship of Development Commissioner, SEEPZ-SEZ held on **24.03.2025**, at Second Floor, SEEPZ Service Centre, SEEPZ SEZ, Mumbai.

-
- सेज़ का नाम : मेसर्स ऑरम रियल एस्टेट डेवलपर्स लिमिटेड
Name of the SEZ : M/s. Aurum Real Estate Developers Limited
 - सेक्टर : आईटी/आईटीईएस
Sector : IT/ITES
 - मीटिंग नंबर : 58वीं
Meeting No. : 58th
 - दिनांक : 24.03.2025
Date : 24.03.2025

उपस्थित सदस्य/Members Present:

क्र. Sr. No.	सदस्यों का नाम Name of Members	पद का नाम Designation	संगठन Organization
1	श्रीमती मितल एस. हिरेमठ Smt. Mital S. hiremath	संयुक्त विकास आयुक्त, Jt. Development Commissioner	सीपज़-सेज़ SEEPZ-SEZ
2	श्री राजेश परदेशी Shri. Rajesh Pardeshi	संयुक्त आयुक्त आयकर Joint Commissioner, Income Tax	आयकर आयुक्त कार्यालय, मुंबई के नामिती Nominee of Commissioner of Income Tax office, Mumbai
3	श्री हिमांशु धर पांडे Shri. Himanshu Dhar Pandey	उप निदेशक डीजीएफटी Deputy Director DGFT	अतिरिक्त डीजीएफटी, मुंबई के नामित Nominee of the Additional DGFT, Mumbai
4	श्रीमती पूनम दराडे Smt. Poonam Darade	उद्योग उपनिदेशक Deputy Director of Industries	डीसी इंडस्ट्रीज, महाराष्ट्र सरकार के नामिती Nominee of DC Industries, Government of Maharashtra
5	श्रीमती मीरा रामकृष्ण Smt. Meera Ramkrishan	सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क / Asstt. Commissioner of Customs	सीमा शुल्क आयुक्त, जनरल, एयर कार्गो, सहार के नामिती / Nominee of Commissioner of Customs, General, Air Cargo, Sahar
6	श्री बालासाहेब बोराडे Shri Balasaheb Borade	विनिर्दिष्ट अधिकारी Specified Officer	सीपज़-सेज़ SEEPZ –SEZ
7	श्रीमती स्मिथा नाम्बियार Smt. Smitha Nambiar	विनिर्दिष्ट अधिकारी Specified Officer	ऑरम-सेज़ Aurum –SEZ

<p>श्रीमती ब्रिजिट जो, वि.आ.का.स. (न्यू सेज़), श्री हनीश राठी, एडीसी (न्यू सेज़), श्री जय दीप, एडीसी (न्यू सेज़), श्री पलाश शंकर, एडीसी (न्यू सेज़) और श्री विवेक जरवाल, एडीसी (न्यू एसईजेड) बैठक में सहायता और सुचारु संचालन के लिए शामिल हुए।</p>	<p>Smt. Bridget Joe, EA to DC (New SEZ), Shri. Hanish Rathi, ADC (New SEZ), Shri Jai Deep, ADC (New SEZ), Shri. Palash Shankar, ADC (New SEZ) and Shri. Vivek Zarwal, ADC (New SEZ) also attended for assistance and smooth functioning of the meeting.</p>
---	---

<p>कार्यसूची मद संख्या 01 : दिनांक 03.03.2025 को आयोजित 57वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि।</p> <p>दिनांक 03.03.2025 को आयोजित 57वीं बैठक के कार्यवृत्त की सर्वसम्मति से पुष्टि की गई।</p>	<p>Agenda Item No. 01: Confirmation of Minutes of the 57th meeting held on 03.03.2025.</p> <p>The Minutes of the 57th Meeting held on 03.03.2025 were confirmed with consensus.</p>
<p>कार्यसूची मद संख्या 02 : वित्त वर्ष 2022-23 से वित्त वर्ष 2023-24 की अवधि के लिए मेसर्स किनाई इन्फोटेक एलएलपी के प्रदर्शन की निगरानी।</p> <p>(मूल एलओए संख्या:- सीप्ज/न्यूजेज/सनस्ट्रीम-ठाणे/05/2015-16/946, दिनांक 22.01.2016)</p> <p>इकाई द्वारा वित्त वर्ष 2022-23 से वित्त वर्ष 2023-24 के लिए वार्षिक प्रदर्शन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। इकाई ने वित्त वर्ष 2022-23 से 2023-24 के दौरान संचयी आधार पर 33.96/- करोड़ रुपये का सकारात्मक एनएफई हासिल किया है।</p> <p>निर्णय:- विचार-विमर्श के बाद, समिति ने सेज नियम, 2006 के नियम 54 के अनुसार मेसर्स किनाई इन्फोटेक एलएलपी (ऑरम-सेज) के प्रदर्शन को नोट किया।</p> <p>समिति ने यह भी पाया कि,</p> <p>1. इकाई ने 2021-22 से 2023-24 की अवधि के लिए एपीआर में कॉलम संख्या 4(बी) में गलत आंकड़े दर्शाए हैं। संदर्भ के लिए अनुलग्नक-बी (परिशोधन पत्र) संलग्न है।</p> <p>2. इकाई ने 2021-22 से 2023-24 की अवधि के लिए एपीआर में कॉलम संख्या 4(बी) (vi) में गलत आंकड़े दर्शाए हैं। संदर्भ के लिए अनुलग्नक-ए (निर्यात और आयात डेटा) संलग्न है।</p> <p>समिति ने इकाई को निर्देश दिया कि, वित्त वर्ष 2021-22 से 2023-24 की अवधि के लिए संशोधित एपीआर प्रस्तुत करें।</p>	<p>Agenda Item No 02 : Monitoring of the performance of M/s. KINAI INFOTECH LLP for the period FY 2022-23 to FY 2023-24.</p> <p>(Original LOA No.:- SEEPZ/NEWSEZ/SUNSTREAM-THANE/05/2015-16/946, Dated 22.01.2016)</p> <p>The Annual Performance Report for the FY 2022-23 to FY 2023-24 was submitted by the unit. The unit has achieved positive NFE of Rs. 33.96/- Crore on cumulative basis during the FY 2022-23 to 2023-24.</p> <p>Decision:- After deliberation, the Committee noted the performance of M/s. KINAI INFOTECH LLP (Aurum-SEZ) in terms of Rule 54 of SEZ Rules, 2006.</p> <p>Committee also observed that,</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Unit has wrongly mentioned figures in Coloumn No.4(B) in the APR for the period 2021-22 to 2023-24. Annexure-B (Amortized sheet) is attached for reference. 2. Unit has wrongly mentioned figures in Coloumn No.4(B) (vi) in the APR for the period 2021-22 to 2023-24. Annexure-A (Export and Import Data) is attached for reference. <p>Committee directed to unit to submit revised APR for the FY 2021-22 to 2023-24.</p>

कार्यसूची मद संख्या 03:

वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2023-24 की अवधि के लिए मेसर्स थर्डवेयर डिजिटल सर्विसेज के प्रदर्शन की निगरानी।

(मूल L O A संख्या: - SEEPZ-SEZ/NEWSEZ/AURUM-SEZ/TDSL/LCD-1/01/2019-20/04695, दिनांक 05.03.2020)

इकाई द्वारा वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2023-24 के लिए वार्षिक प्रदर्शन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। इकाई ने वित्त वर्ष 2019-20 से 2023-24 के दौरान संचयी आधार पर 63.73/- करोड़ रुपये का सकारात्मक एनएफई हासिल किया है।

निर्णय:- विचार-विमर्श के बाद, समिति ने सेज नियम, 2006 के नियम 54 के अनुसार मेसर्स थर्डवेयर डिजिटल सर्विसेज (ऑरम-एसईजेड) के प्रदर्शन को नोट किया।

समिति ने वर्ष 2023-24 की अवधि के लिए एपीआर प्रस्तुत करने में देरी के लिए कारण बताओ नोटिस जारी करने के लिए कार्रवाई शुरू करने का भी निर्देश दिया।

कार्यसूची मद संख्या 04:

कंपनी का नाम मेसर्स थर्डवेयर डिजिटल सर्विसेज लिमिटेड (थर्डवेयर सॉल्यूशन लिमिटेड का एक प्रभाग) से मेसर्स टेक महिंद्रा लिमिटेड में बदलने के लिए आवेदन।

(मूल एलओए संख्या:- SEEPZ-SEZ/NEWSEZ/AURUM SEZ/TDS/LCD-1/01/2019-20/04695 दिनांक 05.03.2020)

निर्णय:- विचार-विमर्श के बाद, समिति ने निर्देश संख्या 109, दिनांक 18.10.2021 के अनुसार कंपनी का नाम बदलने के लिए ऑरम-सेज में स्थित मेसर्स थर्डवेयर डिजिटल सर्विसेज लिमिटेड के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।

इसके अलावा, समिति ने इकाई को निर्देश संख्या 109, दिनांक 18.10.2021 के अनुसार निम्नलिखित सुरक्षा उपायों का अनुपालन करने का भी निर्देश दिया।

1. परिवर्तित इकाई के लिए अपरिवर्तित जिम्मेदारियों और दायित्वों के साथ सेज गतिविधियों की निर्बाध निरंतरता।
2. परिवर्तित इकाई और उसके घटकों द्वारा सुरक्षा मंजूरी आदि सहित सभी लागू पात्रता मानदंडों को पूरा करना।

Agenda Item No 03 :

Monitoring of the performance of M/s. Thirdware Digital Services for the period FY 2020-21 to FY 2023-24.

(Original LOA No.:- SEEPZ-SEZ/NEWSEZ/AURUM-SEZ/TDSL/LCD-1/01/2019-20/04695, Dated 05.03.2020)

The Annual Performance Report for the FY 2020-21 to FY 2023-24 was submitted by the unit. The unit has achieved positive NFE of Rs. 63.73/- Crore on cumulative basis during the FY 2019-20 to 2023-24.

Decision:- After deliberation, the Committee **noted** the performance of **M/s. Thirdware Digital Services (Aurum-SEZ)** in terms of Rule 54 of SEZ Rules, 2006.

The Committee also directed to initiate action for issuance of Show Cause notice for delay in submission of APR for the period for the year 2023-24.

Agenda Item No 04 :

Application for change of name of the Company from M/s. Thirdware Digital Services Ltd (A division of Thirdware Solution Ltd) to M/s. Tech Mahindra Ltd.

(Original LOA No. SEEPZ-SEZ/NEWSEZ/AURUMSEZ/TDS/LCD-1/01/2019-20/04695 Dated 05.03.2020)

Decision:- After deliberation, the Committee **approved** proposal of **M/s. Thirdware Digital Services Ltd** located at AURUM-SEZ for change of name of the Company in terms of Instruction No. 109, dated 18.10.2021.

Further, the Committee also directed the unit to comply with the following safeguards in terms of Instruction No. 109, dated 18.10.2021.

1. Seamless continuity of the SEZ activities with unaltered responsibilities and obligations for the altered entity.
2. Fulfillment of all eligibility criteria applicable, including security clearances etc, by the altered entity and its constituents.

<p>3. सभी राजस्व/कंपनी मामले/सेबी आदि अधिनियमों/नियमों की प्रयोज्यता और अनुपालन, जो पूंजीगत लाभ, इक्विटी परिवर्तन, हस्तांतरण, कर देयता आदि जैसे मुद्दों को विनियमित करते हैं।</p> <p>4. इक्विटी में परिवर्तन/विलय, विभाजन, समामेलन या स्वामित्व में हस्तांतरण आदि से संबंधित पूर्ण वित्तीय विवरण तुरंत सदस्य (आईटी एंड आर), सीबीडीटी, राजस्व विभाग और क्षेत्राधिकार प्राधिकरण को प्रस्तुत किया जाएगा।</p> <p>5. मूल्यांकन अधिकारी को इक्विटी या विलय, विभाजन, एकीकरण, हस्तांतरण और स्वामित्व आदि के हस्तांतरण से उत्पन्न लाभ/हानि की करदेयता का आकलन करने का अधिकार होगा, जैसा भी लागू हो और आयकर अधिनियम, 1961 की प्रासंगिक धाराओं के तहत कटौती के लिए पात्रता होगी।</p> <p>6. आवेदक को राज्य सरकार के प्रासंगिक कानूनों का पालन करना होगा, जिसमें भूमि के पट्टे से संबंधित कानून भी शामिल हैं।</p> <p>7. आवेदक को सीबीडीटी को इकाई के पैर और क्षेत्राधिकार निर्धारण अधिकारी का विवरण प्रस्तुत करना होगा।</p> <p>8. आवेदक को सभी अभिलेखों में नये नाम या ऐसी व्यवस्था से पहचाना जाएगा।</p>	<p>3. Applicability of and compliance with all Revenue / Company Affairs/SEBI etc, Acts/Rules which regulate issues like capital gains, equity change, transfer, taxability etc.</p> <p>4. Full financial details relating to change in equity/merger, demerger, amalgamation or transfer in ownership etc. shall be furnished immediately to Member (IT&R), CBDT, Department of Revenue and to the jurisdictional authority.</p> <p>5. The Assessing Officer shall have the right to assess the taxability of the gain/loss arising out of the transfer of equity or merger demerger, amalgamation, transfer and ownerships etc. as may be applicable and eligibility for deduction under relevant sections of the Income Tax Act, 1961.</p> <p>6. The applicant shall comply with relevant State Government laws, including those relating to lease of land, as applicable.</p> <p>7. The applicant shall furnish details of PAN and jurisdictional assessing officer of the unit to CBDT.</p> <p>8. The applicant shall be recognized by the new name or such arrangement in all the records.</p>
<p>कार्यसूची मद संख्या 05: मेसर्स ऑरम रियल एस्टेट डेवलपर्स लिमिटेड (डेवलपर) का आईटी टॉवर संख्या 03/क्यू 3 के निर्माण के लिए आवश्यक सामग्री की सूची की खरीद के अनुमोदन हेतु अनुरोध।</p> <p>औपचारिक अनुमोदन संख्या एवं दिनांक- एफ.1/1/2016-एसईजेड, दिनांक 11.01.2016</p>	<p>Agenda Item No 05: Request of M/s. Aurum RealEstate Developers Limited (Developer) for approval of procurement of list of material required for Construction of Building IT Tower No. 03/Q3.</p> <p>Formal Approval No. & Date- F.1/1/2016-SEZ, Dated 11.01.2016</p>

<p>डेवलपर मेसर्स ऑरम रियल एस्टेट डेवलपर्स लिमिटेड ने चार्टर्ड इंजीनियर मेधा महादेश्वर (पंजीकरण संख्या एएम 143780-4, दिनांक 29.05.2013) द्वारा विधिवत प्रमाणित पत्र दिनांक 05.06.2024 और 11.03.2025 के माध्यम से बिल्डिंग आईटी टॉवर नंबर 03/क्यू3 के निर्माण के लिए आवश्यक सामग्री की सूची की खरीद के अनुमोदन के लिए अनुरोध किया है, जिसकी राशि 209,67,00,000/- रुपये है।</p>	<p>The developer M/s. Aurum RealEstate Developers Limited has requested for the approval of procurement of list of material required for Construction of Building IT Tower No. 03/Q3 amounting to Rs. 209,67,00,000/- vide letters dated 05.06.2024 & 11.03.2025 duly certified by Chartered Engineer Medha Mahadeshwar (Registration No. AM 143780-4, dtd. 29.05.2013</p>
<p>विनिर्दिष्ट अधिकारी, मेसर्स ऑरम रियल एस्टेट डेवलपर्स लिमिटेड-सेज़ ने दिनांक 07.11.2024 के पत्र के माध्यम से सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत की है और कहा है कि, 206,67,00,000/- रुपये की सूची सत्यापित की गई है और इसे अधिकृत संचालन के लिए उपयुक्त पाया गया है।</p>	<p>The Specified Officer, M/s. Aurum RealEstate Developers Limited-SEZ vide letter dated 07.11.2024 has submitted verification report and stated that, the list amounting to Rs. 206,67,00,000/- has been verified and is found to be fit for Authorized operations.</p>
<p>निर्णय:- विचार-विमर्श के बाद समिति ने मेसर्स ऑरम रियल एस्टेट डेवलपर्स लिमिटेड (डेवलपर) द्वारा आईटी टावर संख्या 03/क्यू3 के निर्माण के लिए आवश्यक सामग्री की सूची की खरीद के अनुमोदन के लिए 209,67,00,000/- रुपए के प्रस्ताव को स्थगित कर दिया, क्योंकि आवेदक का प्रतिनिधि उपस्थित नहीं था।</p>	<p>Decision:- After deliberation, the Committee deferred the proposal of the M/s. Aurum RealEstate Developers Limited (Developer) for approval of procurement of list of material required for Construction of Building IT Tower No. 03/Q3 amounting to Rs. 209,67,00,000/- as the representative of the applicant was not present.</p>
<p>समिति ने पाया कि आवेदक द्वारा दी गई राशि 209,67,00,000/- रुपए, विनिर्दिष्ट अधिकारी द्वारा दी गई राशि 206,67,00,000/- रुपए से भिन्न है।</p>	<p>The Committee observed that the figure provided by the applicant, Rs. 209,67,00,000/-, is different from the figure given by the Specified Officer, Rs. 206,67,00,000/-.</p>
<p>समिति ने विनिर्दिष्ट अधिकारी, ऑरम-सेज़ को मेसर्स ऑरम रियल एस्टेट डेवलपर्स लिमिटेड के प्रस्ताव को पुनः सत्यापित करने का निर्देश दिया।</p>	<p>The Committee directed to Specified Officer, Aurum-SEZ to re-verify the proposal of M/s. Aurum RealEstate Developers Limited. Also Committee directed developer to present with maps and approved layout the construction/renewation has been proposed in coming UAC.</p>
<p>अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।</p>	<p>Meeting concluded with a vote of thanks to the Chair.</p>

(ज्ञानेश्वर भा. पाटील, आईएस)
अध्यक्ष-सह-विकास आयुक्त,
सीपूज-सेज़
